चेम्बर पत्रिका

चेम्बर व आईएमए ने हाथ मिलाए, कहा–साथ लड़ेंगे

झारखण्ड़ में आम मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर फेड़रेशन ऑफ झारखण्ड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स और इंड़ियन मेड़िकल एसोसियेशन (आईएमए) ने हाथ मिलाया है। 31 जुलाई 2011 को चेम्बर भवन में हेल्थ उप समिति की बैठक में यह घोषणा की गई। डॉ0 भारती कश्यप ने कहा कि बीपीएल मरीजों को दी जानेवाली स्मार्ट कार्ड़ योजना फेल है तथा चोलामंड़ल नामक एजेंसी ने सिर्फ छलने का काम किया है। राज्य सरकार से उक्त विषयों पर चर्चा करने की योजना बनाई गई एवं उक्त कार्य को गति प्रदान किया गया। बैठक में चेम्बर सदस्यों के अलावा आईएमए के सचिव डॉ0 रितेश रंजन, डॉ0 विमलेश सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

सरकार ने मानी चेम्बर की सलाह

कैबिनेट बैठक से पूर्व चेम्बर प्रतिनिधिमण्ड़ल चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा से मिलकर खाद्यान्न पर पूरी तरह से वैट हटाने की मॉग की। 21 जुलाई को कैबिनेट के निर्णयानुसार रजिस्टर्ड आयातित खाद्यान्न पर 5 प्रतिशत का वैट हटा दिया गया था, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। चेम्बर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से खाद्यान्न को पूरी तरह से करमुक्त करने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि बिहार में 100 करोड़ रूपये के कारोबार करनेवाले व्यापारियों को वैटमुक्त रखा गया है, झारखण्ड़ में 75 करोड़ रूपये तक के व्यापारियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे आम व्यापारी वैट से बच जायेंगे और मल्टीनेशनल कंपनियॉ इसके दायरे में आ जायेंगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बिहार सरकार की ओर से सारे खाद्यान्न पर 26 जून को करमुक्त कर दिया गया था लेकिन मल्टीनेशनल कम्पनियॉ जिनका सालाना 100 करोड़ के उपर का व्यापार है उनके बेंचे गये खाद्य पर 5 प्रतिशत का कर तय किया गया था। चेम्बर ने बिहार के तर्ज पर ही खाद्यान्न को करमुक्त करने की मॉग की।

खाद्यान्न को वैट मुक्त करने पर कैबिनेट की मुहर लगा दी गई। व्यवसायियों की बात पसंद आने पर मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगियों से विचार–विमर्श के बाद बिहार की तर्ज पर यहॉ भी व्यवसायियों को राहत देने का निर्णय लिया। व्यापारियों से विचार–विमर्श के बाद कैबिनेट में निर्णय 75 करोड़ टर्न ओवर वाले व्यापारी टैक्स के दायरे में आयेंगे। राज्य सरकार की ओर से अन्य राज्यों से मंगाए जानेवाले खाद्यान्न सामग्रियों से वैट हटाने के निर्णय का फेड़रेशन चेम्बर ने स्वागत किया।

FJCCI opposes duty on generators

FJCCI strongly opposed Jharkhand Govt. decision to impose duty on generators producing electricity for Industrial purposes while hailing its withdrawal of VAT for small Industries recently. Addressing a press conference here FJCCI President, Sri Sajjan Saraf said the power situation in the state was poor and prevailing power situation was hampering the industries badly in the state even though mineral-rich Jharkhand was conducive for rapid industrial growth.

Sri Saraf alleged that Jharkhand govt. was lacking will power to deliver in the industrial front and demanded more Public-Private partnership in the power sector. Among the existing industrial units in the state he claimed only 5 percent units were operation due to pathetic power situation and suggested division of Jharkhand State Electricity Board. “We strongly favour that there should be separate arrangement for distribution transmission and generation of power and promotion Public-private partnership would create competition in these field,” he suggested.

चेम्बर ने आजसू को दिये आर्थिक सुझाव

चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ ने उपमुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख श्री सुदेश महतो को आर्थिक मामलों पर सलाह दिया। सोमवार को मान्या पैलेस में आर्थिक नीतियों पर चर्चा के लिए बुद्धिजीवी मंच का आयोजन किया गया। इसमें बिहार की तर्ज पर झारखण्ड़ में कृषि बाजार समिति को भंग करने की बात कही। व्यापार एवं उद्योग हित में जमीन सम्बन्धी कानून में सुधार करने की जरूरत की बात बताई तथा रॉची से जमशेदपुर, गुमला, डाल्टनगंज, सिमडेगा एवं चक्रधरपुर आदि स्थानों पर सुरक्षित रात्रिकालीन आवागमन के लिए सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक की स्थापना किये जाने, बिहार के तर्ज पर राईट टू सर्विस एक्ट बनाने की बात भी कही। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो ने चेम्बर अध्यक्ष के सुझावों की सराहना की एवं शीघ्रातिशीघ्र उक्त विषयों पर कार्य करने हेतु आश्वस्त किया।

झारखण्ड़ को घोषित होना चाहिए औद्योगिक प्रदेश

चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखण्ड़ के कृषि प्रधान राज्य बनाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। लिहाजा राज्य सरकार इसे औद्योगिक राज्य के रूप में घोषित करे। शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए निवेश की राह खोलें तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर राज्य से प्रतिवर्ष 15 से 16 करोड़ रूपये से उपर की राशि दूसरे राज्यों में जा रही है। खनिजों की प्रचुरता, श्रम की उपलब्धता, अनेक राज्यों से जुडाव नजदीक में समृद्ध, सड़कों का नेटवर्क व सब कुछ है जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। परन्तु सरकार में ईच्छाशक्ति की कमी, साल में 10 प्रतिशत कार्यदिवस का बंदी में जाया होना, सिंगल विंडो सिस्टम का अभाव, बिजली और सड़क की जर्ज स्थिति तथा असुरक्षा के कारण औद्योगिक विकास अपेक्षित नहीं हो पाया। उद्योग की बात दूर, घरेलू आवश्यकता जितनी भी बिजली राज्य में उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बिजली को निजी हाथों में दे दिया गया। यहॉ भी पावर रिफॉर्म कर बिजली व्यवस्था ठीक करनी होगी।

रोड परमिट को लेकर वित्तमंत्री को लिखा पत्र

फेड़रेशन चेम्बर ने वित्तमंत्री से आग्रह किया है कि रोड परमिट–504 जी को लेकर 31 मार्च 2006 को निकाली गई अधिसूचना 212 को राज्य में लागू किया जाय। चेम्बर अध्यक्ष्ज्ञ श्री सज्जन सर्राफ एवं महासचिव श्री आर.ड़ी. सिंह ने संयुक्त रूप से वित्तमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग श्रीमती अलका तिवारी को लिखे पत्र में कहा है कि हरा रोड परमिट बाहर से मंगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानवीय भूल के कारण अगर ट्रांस्पोर्ट कर्मचारी द्वारा रोड परमिट भरने के दौरान कोई शब्द छूट जाता है और उस परिस्थिति में जैसे ही माल अपने राज्य में प्रवेश करता है तो जांच के दौरान इस छोटी सी मानवीय भूल के कारण वाणिज्यकर अधिकारी टैक्स की मूल राशि के अलावा तीन गुना पेनाल्टी लगा देते हैं। इस मानवीय भूल का शिकार वैसे व्यापारी और कंपनियां होती हैं जो सही ढ़ंग से व्यापार करते हैं। सरकारी उद्यमियों और व्यापारियों की इस पीडा को समझते हुए पुनानी अधिसूचना को पुनः लागू करने की व्यवस्था कर दे तो अधिकारियों द्वारा पकडे जानेवाले ट्रकों को महीनों खडे रहने से बच जायेंगे। पूर्व की अधिसूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख की व्यवस्था थी कि इस मानवीय भूल रह जाने पर व्यापारी और उद्यमी को दंडित नहीं किया जाय।

खुदरा बाजार में विदेशी पूँजी निवेश अस्वीकार

फेड़रेशन चेम्बर की ओर से भारतीय खुदरा बाजार में विदेशी पूँजी निवेश एवं इसका औचित्य विषय पर बैठक आयेाजित की गई। चेम्बर सदस्यों ने अपने विचार देते हुए कहा कि टेक्नोलोजी के ट्रासफर, भारी और बड़े उद्योग लगाने के लिए विदेशी पूँजी निवेश का हम एक सीमा तक स्वागत करते हैं लेकिन जहॉ तक भारतीय खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का प्रश्न है तो हम इसे हर दृष्टिकोण से अस्वीकार करते हैं। यदि विदेशी दबाव में देश की सरकार विदेशी पूँजी निवेश के लिए दरवाजा खोलती है तो इसका असर यहॉ के खुदरा बाजार करनेवालों पर पड़ेगा। इस संदर्भ में फेड़रेशन चेम्बर की ओर से देश के सभी माननीय सांसदो को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शित किया गया जिसकी चर्चा लोकसभा एवं विधानसभा के मानसून सत्र में कई सांसदों के द्वारा खुले रूप से चर्चा कराई गई एवं फेड़रेशन चेम्बर के विचार व सुझाव की सराहना की गई।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय के साथ चेम्बर भवन में बैठक

चेम्बर सभागार में राज्य के विकास एवं पर्यटन के विकास पर एक वृहद् बैठक सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय मुख्य रूप से उपस्थित थे। चेम्बर अध्यक्ष सज्जन सर्राफ ने उन्हें अवगत कराया कि जिस तरह कटरा से वैष्णोदेवी, हरिद्वार से केदारनाथ, पालटाल से अमरनाथ के लिए सरकार ने सस्ते दर पर सब्सिडी देकर हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई है, उसी प्रकार जैनधर्म का मुख्य स्थल पारसनाथ, बौद्धधर्म का तीर्थस्थल बोधगया एवं तीनो धर्मों का तीर्थस्थल का महासंगम स्थल ईटखोरी (मॉ भद्रकाली मंदिर) को हेलिकॉप्टर सेवा से जोडा जाय। साथ ही यह भी कहा कि रेल सेवा में रॉची आज भी उपेक्षित है। अहमदाबाद, लखनउ, देहरादून, भोपाल एवं इस प्रकार के अन्य शहरों के लिए यहां से रेल की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए।

साथ ही उनसे आग्रह किया गया कि राज्य में धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माईंस को आईआईटी का दर्जा दिया जाय। इसके अतिरिक्त राज्य का औद्योगिक विकास हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियोजित करनेवाले कल–कारखानो को झारखण्ड़ में स्थापित करने का आग्रह किया गया।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि झारखण्ड़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम यहॉ केरल, गोवा और राजस्थान की तर्ज पर पर्यटन को विकसित करेंगे। राज्य में कई धार्मिक स्थल, नेशनल पार्क और डैम हैं जिन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने पर्यटन विकास के लिए 100 करोड रूपया राज्य सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य का सर्वांगिण विकास है और इसके लिए वे हर तरक की मदद को तैयार हैं।

रेलमंत्री से चेम्बर ने की नई ट्रेनों की मॉग

चेम्बर ने रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को पत्र लिखकर प्रदेश में रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की मॉग की है। चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ ने कहा कि कुछ वर्षों में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सुविधाऍ अभी भी काफी कम है। जरूरत है कुछ ट्रेनों को बढ़ाने व कुछ नई ट्रेनों को जोड़ने की। इसमें रॉची से नई दिल्ली–जयपुर तक दुरंतो ट्रेन उपलब्ध कराने की मॉग की गई है। रॉची से अहमदाबाद भाया सूरत, रॉची से देहरादून भाया लखनउ हरिद्वार एवं रॉची से इंदौर भाया भोपाल नई ट्रेन देने की बात कही है। रॉची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हटिया–मुम्बई एलटीटी, हटिया–यशवंतपुर बंगलौर, अलीपुरद्वार–रॉची गुवाहाटी एक्सप्रेस का फेरा बढ़ाकर प्रतिदिन करने। रॉची–नई दिल्ली गरीब रथ, अजमेरशरीफ–रॉची, रॉची–लोकमान्यतिलक, हैदराबाद–दरभंगा का फेरा बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन करने की मॉग की है। रॉची–बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस में एसी कोच लगाने, एलेप्पी–धनबाद एक्सप्रेस, रॉची–अलीपुरद्वार एक्सप्रेस, रॉची–भागलपुर एवं रॉची–अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस में 2 टायर कोच लगाने की बात कही है। हैदराबाद–दरभंगा, रॉची–नई दिल्ली गरीब रथ में पैंट्री कार लगाने की मॉग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, महिला यात्रियों की दिक्कत के मद्देनजर रॉची रेलवे स्टेशन ब्रिज पर बिजली चालित ऑटो रैम्प बनाने, रॉची स्टेशन पर कुलियों की व्यवस्था करने, रॉची एवं हटिया स्टेशन पर ट्रॉली की व्यवस्था करने की मॉग भी की है।

चेम्बर में सेन्ट्रल एक्साईज पर बैठक

फेड़रेशन चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ ने सेन्ट्रल एक्साईज एण्ड़ सर्विस टैक्स विभाग से क्षेत्रीय सलाहकार समिति में चेम्बर को उचित प्रतिनिधित्व देने की मॉग की। चेम्बर सभागार में 22 सितम्बर को आयोजित बैठक में सेन्ट्रल एक्साईज एण्ड़ सर्विस टैक्स के मुख्य आयुक्त विश्वजीत दत्ता के समक्ष उक्त मॉग रखी। चेम्बर अध्यक्ष ने कहा कि सलाहकार समिति में 22 से 25 सदस्य व्यापार एवं उद्योग जगत से शामिल किये जाते रहे हैं। चेम्बर उद्योग–व्यापार से जुड़े लोगों की प्रतिनिधि संस्था है अतः चेम्बर से एक प्रतिनिधि की जगह तीन प्रतिनिधि नियुक्त किये जायें। श्री दत्ता ने चेम्बर सदस्यों की मॉग के अनुकूल सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन दिया। साथ ही बैठक में उपस्थित अपर आयुक्त तेजस्विनी पी कुमार ने कहा कि अगले माह विभाग सेन्ट्रल एक्साईज और सर्विस टैक्स पर कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है इसमें चेम्बर की सहभागिता जरूरी है।

''जी मैं **Income Tax** से हूँ और ये मेरे **boss** का **Number** है''

अब छापे से पहले **boss** का **contact number** देंगे **IT** अधिकारी

इन्कम टैक्स की टीम अब जब किसी के कारोबारी ठिकाने पर छापा मारने आयेगी तो अपने बॉस का नाम और कॉन्टैक्ट नम्बर देकर जायेगी। इस कदम का मकसद इन्कम टैक्स अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान परेशानी या करप्शन के बारे में लोगों की शिकायतों को दूर करना है।

ताकि कायम रहे **Transparency**

C.B.D.T. के चेयरमेन सुधीर चंद्रा ने कहा कि सर्वे में ट्रांसपैरेंसी लाने और टैक्सपेयर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सर्वे कार्रवाई के लिए यह आदेश इन्कम एक्ट की धारा 133A के तहत जारी किया गया है। इसके तहत इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट के अधिकारी कारोबारी कैम्पस में प्रवेश कर सकते हैं और एकाउन्ट्स वैल्यूबल प्रोड़क्ट और किसी व्यक्ति के ब्यान ले सकते हैं, लेकिन वे कोई चीज जब्त नहीं कर सकते। इसके तहत अधिकारी रिहायशी कैम्पस में नहीं जाते।

क्या है निर्देश ?

सीबीडीटी ने 'सर्वे टीम' से कागज रखने को कहा है जिसमें उनके चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के कान्टेक्ट नम्बर होंगे व इस कागज को वे टैक्सपेयर के साईन लेने ओर उसे इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जमा करने को कहा है जो इस तरह की कार्रवाई को देखते हैं।

जैना मोड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के शिकायत पर फेड़रेशन चेम्बर द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा।

जैना मोड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स, बोकारो द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया, जैनामोड के वर्तमान शाखा प्रबंधक श्री भोलानाथ झा का स्थानांतरण अविलम्ब करने के संदर्भ में आग्रह किया गया एवं कहा गया था कि उक्त प्रबंधक व्यापारियों को काफी परेशान करते हैं जिसमें रिन्यूवल में पैसे की मॉग, ऋण स्वीकृति में रिश्वरखोरी एवं ओवरड्राफ्ट देने के एवज में कुछ चीजों की मॉग शामिल है।

उक्त शिकायत प्राप्त करने के उपरांत फेड़रेशन चेम्बर द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया, जैनामोड़ के वर्तमान शाखा प्रबंधक श्री भोलानाथ झा की शिकायत केन्द्रीय वित मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, रिजनल डायरेक्टर, यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया, रॉची एवं जेनरल मैनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्ड़िया, रॉची को पत्राचार कर शीघ्रातिशीघ्र इनका स्थानांतरण अन्य स्थान पर कराने का आग्रह किया गया।

लागू हो मेडिकल प्रोटेक्शन विधेयक (चेम्बर ने चिकित्सकों पर हो रहे हमले को रोकने की मॉग की)

फेड़रेशन चेम्बर ने राज्य सरकार से झारखण्ड़ में मेड़िकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मॉग की है। चेम्बर के हेल्थ विंग के एक प्रतिनिधिमण्ड़ल ने चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ एवं डॉ0 भारती कश्यप के नेतृत्व में स्वास्थ्य सचिव के. विद्यासागर को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि राज्य भर में मेडिकल संस्थानों, अस्पतालों व नर्सिंग होम में तोड़फोड़ व मेडिकल कर्मियों के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ी है। आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। बिहार मंत्रिमण्ड़ल ने भी मेडिकेयर सर्विस इंस्टीच्यूट्स एंड पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2011 की सहमति दी है। झारखण्ड़ में भी ऐसे एक्ट की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सचिव ने चेम्बर की बातों पर गम्भीरतापूर्वक मॉग को पूर्ण करने की सहमति दी ळें

लागू हो **Right to Provisional Licence Act**

चेम्बर अध्यक्ष श्री सज्जन सर्राफ ने माननीय मुख्यमंत्री से पत्राचार कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारित Right to service act स्वागतयोग्य कदम है और इससे आम व्यापारी को समय–सीमा के अंदर सर्विसेस मिलने की राज्य सरकार द्वारा की गई पहल अत्यंत प्रशंसनीय है। परन्तु इस विधेयक के अतिरिक्त राज्य सरकार Right to Provisional Licence Act लागू करे जिसमें आवेदक को आवेदन के साथ ही Provisional Licence मिल जाय और सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेवारी देकर तीन महीने में आवेदक के कागजात पूरे करवाकर नियमित लाईसेन्स सौंपा जा सके। आम व्यापारियों को काफी राहत मिलेगा एवं व्यवसायियों को सरकारी विभाग का चक्कर नहीं लगाना पडेगा। उक्त विधेयक के लागू हो जाने से आम व्यापारी काफी लाभान्वित होंगे एवं इस प्रकार उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता प्राप्त होगी।

मैनेज करना ही मैनेजमेंट

हर चीज को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। आनेवाले समय में हमारे देश के विद्यार्थी पूरे विश्व की कंपनियों की बागडोर संभालेंगे। जरूरत है तो सिर्फ सोच और लक्ष्य की। लक्ष्य निर्धारित करें और फिर ठान लें कि उसे पूरा करना है।

सज्जन सर्राफ, अध्यक्ष, FJCCI

व्यापारी अब अपने निर्धारित समय तक सेल्फ एसेस्मेन्ट स्वयं करें और विभागीय एनुअल एसेस्मेन्ट के चक्कर में ना पडें क्योंकि राज्य सरकार ने ऑडिट एसेस्मेन्ट की व्यवस्था झारखण्ड में लागू कर दी है तथा इसके लिए अधिसूचना भी निकल गई है। अब ऑडिट एसेस्मेन्ट के लिए सरकार ने क्राईटेरिया तय कर दिया है और आयकर की तरह विभाग उनका ऑडिट एसेस्मेन्ट करेगा।

आर.ड़ी. सिंह, महासचिव, FJCCI